

ई-पंचायतों से सशक्त होती पंचायतें

—सबिता कुमारी

मंत्रालय पंचायत एंटरप्राइजेज अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और राज्यों/संघशासित प्रदेशों को राज्य-स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों का एक कैंडर तैयार करने की सलाह दी है ताकि उनका जिला और पंचायत-स्तर पर कार्मिकों को प्रशिक्षित करने हेतु उपयोग किया जा सके। मंत्रालय की राज्य के पंचायती राज विभाग से प्रत्येक पंचायत एंटरप्राइजेज सूट हेतु 2-4 मास्टर प्रशिक्षकों के अतिरिक्त प्रत्येक जिले से दो मास्टर प्रशिक्षक तैयार करने की योजना है। अभी तक 27000 प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। मंत्रालय ने कम्प्यूटरों के प्रयोग पर जागरुकता पैदा करने और भौतिक ज्ञान प्रदान करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कार्यकर्ताओं को मौलिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्थाएं की हैं। 19000 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

ई—पंचायतें ही आने वाले समय में गांव और ग्रामीणों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसी के मद्देनजर देश एवं समाज के विकास में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन भविष्य की पंचायत को और सुदृढ़ बनाना होगा।

जहां तक गांव के विकास की बात है तो सबसे पहले विकास की पहली सीढ़ी “पंचायती राज संस्थाओं” का विकास अपेक्षित है, क्योंकि बिना पंचायतों के सशक्तीकरण के किसी

भी गांव का विकास संभव नहीं है। पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जिसमें गांवों के विकास को भी मद्देनजर रखते हुए कई प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत की गई।

वर्तमान परिदृश्य में भारत में अब डिजिटल प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए यह आवश्यक है कि पंचायती राज प्रणाली



को भी डिजिटल प्रणाली द्वारा ही सशक्त किया जाए। इस हेतु ई-पंचायत के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने हेतु कार्य किया जा रहा है।

पंचायत उद्यम समष्टि (पंचायत एंटरप्राइज सूट-पीईएस) पंचायतों को शासन तथा सेवा सुपुर्दगी के लिए अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए ई-सक्षमता की आधारशिला तैयार करेगा। राज्यों में ई-सक्षमता के लिए उपयुक्त क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है।

ई-पंचायत की पृष्ठभूमि

विश्व बैंक के अनुसार "ई-शासन से तात्पर्य सरकारी एजेंसियों द्वारा ऐसी सूचना प्रौद्योगिकियों (जैसेकि विस्तृत नेटवर्क क्षेत्र, इंटरनेट और मोबाइल कम्प्यूटिंग) का प्रयोग है जिससे नागरिकों, व्यापार और सरकार के अन्य विभागों के बीच संबंध स्थापित है। भारत सरकार ने नीति निर्धारण में नागरिकों की सहभागिता और नागरिकों को सूचना की सुगम अभिगम्यता सुनिश्चित करने हेतु शासन को रूपांतरित करने की भावना से वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) लागू की। एनईजीपी की दृष्टि "जनसाधारण को उसके स्थान पर सामान्य सुपुर्दगी केन्द्रों के द्वारा सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना और जनसाधारण की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहनीय लागत पर ऐसी सेवाओं की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना" था। ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एनएमपी) ऐसी परियोजना है जिसका ग्रामीण भारत को सशक्त और रूपांतरित करने की दृष्टि से कार्यान्वयन किया जा रहा है।

पंचायती राज मंत्रालय ने परियोजना के प्रतिपादन के प्रथम कदम के रूप में डॉ. बी.के. गैरोला, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), भारत सरकार की अध्यक्षता में जून, 2007 में विशेषज्ञ समूह को पंचायती राज मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने और लागत अनुमानों सहित लागत प्रभावों के समाधानों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा। समिति ने परामर्शी अवधारणा अपनाते हुए राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलों सहित, ग्राम पंचायत-स्तर तक कम्प्यूटरीकरण की विद्यमान स्थिति के मूल्यांकन हेतु राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों से बातचीत की। समिति ने बुनियादी वास्तविकता के बोध के लिए चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कुछ ग्राम पंचायतों का दौरा किया, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी की पहल की गई थी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित कुछ विशेषज्ञों से भी इनपुट लिए गए। इसने सार रूप में पाया कि गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल,

आन्ध्र प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों ने हालांकि पंचायत-स्तर पर कम्प्यूटरीकरण के कुछ प्रयास किए हैं, किन्तु ये प्रयास सीमित थे, क्योंकि ये लघु अवधि लक्ष्यों के लिए बनाए गए थे और पूर्णतावादी परिप्रेक्ष्य की कमी के कारण पंचायतों को पूर्ण रूप से रूपांतरित करने में असमर्थ थे। यह महसूस किया गया कि नागरिकों के हितार्थ पंचायतों के कार्यों पर संज्ञान प्रभाव डालने हेतु अधिक विस्तृत दृष्टिकोण आवश्यक है। इन सिफारिशों ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना की संकल्पना का आधार बनाया।

ई-पंचायत परियोजना ग्रामीण जनता की बड़ी आशा है, क्योंकि इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों को आधुनिकता, पारदर्शिता और कार्य-कुशलता के प्रतीक के रूप में रूपांतरित करना है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी सूचना प्रौद्योगिकी पहल में एक पहल है, जिसका प्रयास कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेने, कार्यान्वयन और सुपुर्दगी में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। परियोजना का उद्देश्य देश की 2.45 लाख पंचायतों के कार्यों का स्वचालन करना है। परियोजना में आयोजना, मानीटरिंग, कार्यान्वयन, बजटिंग, लेखांकन, सामाजिक लेखा परीक्षा और प्रमाणपत्र, लाइसेंस आदि जारी करने की नागरिक सेवा सुपुर्दगी सहित पंचायतों के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है।

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य देश की सभी लगभग 2.45 लाख पंचायतों की आंतरिक कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं का स्वचालन है। इसमें लगभग 30 लाख निर्वाचित सदस्य और अनेक लाख पंचायती राज संस्थान कार्यकर्ता शामिल होंगे।

ई-पंचायत मिशन मोड

पंचायतों द्वारा जनादेशित कार्य जो दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं, कुशल और प्रभावी रूप से करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का गहन प्रयोग करना होगा। इसके अलावा "डिजिटल संयुक्त समाज" बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है, जहां ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा हिस्सा नई प्रौद्योगिकियों से लाभान्वित हो सके, सूचना और सेवाओं की जानकारी पा सके और सहभाजित कर सकें तथा विकास प्रक्रिया में अधिक प्रभावी रूप से भाग ले सकें।

ग्रामीण नागरिकों और शासन संरचना के अंतराफलक होने के कारण पंचायतों के निम्नतर स्तर पर सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति प्रेरित करने का प्रभावी माध्यम है। इसी व्यापक दृष्टिकोण से पंचायती राज मंत्रालय ने मिशन मोड अवधारणा पर देश की सभी पंचायतों में सूचना तथा संचालन प्रौद्योगिकी सामर्थता हेतु एक योजना बनाई है। ई-पंचायत मिशन मोड



परियोजना का उद्देश्य पंचायतों के 'कामकाज से संबंधित सभी पहलू जैसे-विकेन्द्रीकरण आयोजन, बजटिंग, लेखांकन, कार्यान्वयन, और मॉनीटरिंग जैसे मुख्य आंतरिक कार्यों से लेकर, प्रमाणपत्र, लाइसेंस जारी करने जैसे सेवा सुपुर्दगी के पक्षों को संबोधित करना है।

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के मुख्य उद्देश्य

- पंचायतों की आंतरिक कार्यप्रणाली प्रक्रियाओं का स्वचलीकरण
- नागरिकों को सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार करना
- पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों का क्षमता निर्माण
- सामाजिक लेखा परीक्षा
- पारदर्शिता, जवाबदेही, कुशलता और पंचायतों का आरटीआई अनुपालन
- स्थानीय स्व-सरकार के शासन में सुधार

पंचायत बहुसंख्यक योजनाओं और सेवाओं की आयोजना और कार्यान्वयन हेतु मूलभूत इकाई होने के नाते यह मिशन मोड परियोजना, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से बेहतर परिणाम सहित जनसेवा सुपुर्दगी में सुधार लाने में सहायक होगी।

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत विकसित अनुप्रयोग

ई-पंचायत के अंतर्गत 11 मुख्य सामान्य अनुप्रयोगों का एक समूह प्रस्तावित है, जो पंचायतों की कार्यपद्धति के लगभग सम्पूर्ण वर्णपट को परिभाषित करेगी, अर्थात् उस आयोजना, मॉनीटरिंग, कार्यान्वयन, बजटिंग, लेखांकन, सामाजिक लेखा-परीक्षा आदि जैसे आंतरिक मुख्य कार्यों से लेकर नागरिक सेवा सुपुर्दगी प्रचालन जैसे प्रमाणपत्र, लाइसेंस जारी करने के मसले आदि। इन 11 सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के एक साथ मिलकर पंचायत एंटरप्राइजेज सूट (पीइएस) बना है। इनमें से चार सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग-नाम, पंचायती राज इंस्टिट्यूट एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, प्लान प्लस, नेशनल पंचायत पोर्टल और लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी का राज्य/संघशासित प्रदेश तीन वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं। छह और अनुप्रयोगों नामतः एरिया प्रोफाइलर, सर्विस प्लस, नेशनल एसेट डायरेक्टरी, एक्शन सॉफ्ट, सोशल ऑडिट एवं मीटिंग मैनेजमेंट और ट्रेनिंग मैनेजमेंट की 24 अप्रैल, 2012 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरुआत की गई और सुगम अंगीकरण व राज्यों/संघशासित प्रदेशों के हस्तांतरण को सम्पर्क बनाने के लिए इन अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन 11 अनुप्रयोगों की सूची आगे दी गई है।

क्रम सं.	अनुप्रयोग	विवरण
1.	पंचायत राज संस्थाओं के लिए लेखांकन सिस्टम सॉफ्टवेयर अथवा 'पंचायती राज इंस्टिट्यूट एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर' (पीआरआईए सॉफ्ट)	वाउचर प्रविष्टियों के द्वारा पावती और व्यय व्यौरों का प्रगहन करता है और रोकड़ बही, रजिस्टर आदि स्वतः तैयार करता है। http://accountingonline.gov.in
2.	प्लानप्लस http://planningonline.gov.in	परिदृश्य, वार्षिक और कार्रवाई योजना बनाने में पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और संगत विभागों की सहायता करते हैं।
3.	'राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल' अथवा 'नेशनल पंचायत पोर्टल (एनपीपी) http://panchayatportals.gov.in	सार्वजनिक डोमेन में सूचना सहभाजन के लिए प्रत्येक पंचायत के लिए सक्रिय वेबसाइट
4.	स्थानीय सरकारी निर्देशिका अथवा लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी (एलजीडी) http://lgdirectory.gov.in	स्थानीय सरकारों से सभी व्यौरों का प्रगहन करता है और अनूठा कोड प्रदान करता है। पंचायतों का विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के साथ चित्रण भी करता है।
5.	एक्शन सॉफ्ट http://reportingonline.gov.in	विभिन्न कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष और वित्तीय परिणामों/आउटपुट की मॉनीटरिंग को सुनिश्चित करता है।
6.	'राष्ट्रीय एसेट निर्देशिका अथवा नेशनल एसेट डायरेक्टरी (एनएडी) http://assetdirectory.gov.in	अर्जित/अनुरक्षित परिसंपत्तियों के व्यौरों का प्रगहन करता है, दोहरे कार्य से बचने में सहायता करता है।
7.	एरिया प्रोफाइलर http://areaprofiler.gov.in	ग्राम/पंचायत के भौगोलिक, जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों का प्रगहन करता है। सभी सेक्टर कार्यक्रमों की आयोजना हेतु सार्वभौमिक आधार-आंकड़े और निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि का व्यौरा भी प्रदान करता है।
8.	सर्विसप्लस http://serviceonline.gov.in	सभी राज्यों में सभी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी प्रदान करने में सहायक सक्रिय मेटाडाटा सेवा सुपुर्दगी पोर्टल/पूर्व के शिकायत निवारण अनुप्रयोग की कार्यात्मकता को भी इस अनुप्रयोग में शामिल किया गया है।
9.	'सामाजिक लेखा परीक्षा और बैठक प्रबंधन' अथवा 'सोशल ऑडिट एवं मीटिंग मैनेजमेंट (एस0ए0एम0एम0) http://socialaudit.gov.in	जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत/ग्राम पंचायत स्तरों पर आयोजित सांविधिक बैठकों का प्रगहन करता है और सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु रिपोर्ट तैयार करता है।
10.	प्रशिक्षण प्रबंधन अथवा ट्रेनिंग मैनेजमेंट http://trainingonline.gov.in	नागरिकों सहित पणधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं, उनकी प्रतिपुष्टि, प्रशिक्षण सामग्री आदि संबोधित करने वाला पोर्टल
11.	'भौगोलिक सूचना प्रणाली' अथवा 'जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम' (जीआईएस)	सभी अनुप्रयोगों द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र पर सभी अर्जित आंकड़ों को देखने के लिए एक स्थानिक परत

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण की पहल

मूल स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है जो आवश्यक अवसररचना की अपर्याप्त अनुपलब्धता

के कारण बड़ी चुनौती है। अतः प्रशिक्षण की एक सोपान विधि अर्थात् मूल-स्तर तक प्रशिक्षणों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला और पंचायत-स्तरों पर मास्टर प्रशिक्षण तैयार करने हेतु प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण का अंगीकरण किया गया है।

मंत्रालय पंचायत एंटरप्राइजेज अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और राज्यों/संघशासित प्रदेशों को राज्य-स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों का एक कैडर तैयार करने की सलाह दी है, ताकि उनका जिला और पंचायत-स्तर पर कार्मिकों को प्रशिक्षित करने हेतु उपयोग किया जा सके। राज्य के पंचायती राज विभाग से प्रत्येक पंचायत एंटरप्राइजेज सूट हेतु 2-4 मास्टर प्रशिक्षकों के अतिरिक्त, मंत्रालय की प्रत्येक जिले के प्रति अनुप्रयोग दो मास्टर प्रशिक्षक तैयार करने की योजना है। अभी तक 27000 को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अंतिम प्रयोक्तृताओं को संपोषणीय और निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रयोक्ता मैनुअल, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न और ऑडियो सुनकर सीबीटी (कम्प्यूटर आधारित शिक्षण) सभी पंचायत एंटरप्राइजेज सूट अनुप्रयोगों द्वारा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों पर कार्य करते समय ऑनलाईन देखने/काम करने के लिए उपलब्ध हैं और उन्हें डाउनलोड भी किया जा सकता है। सीबीटी राज्य और जिला-स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान मास्टर प्रशिक्षकों की सहायता सहित प्रमाणिक प्रशिक्षण सामग्री के रूप में भी कार्य करते हैं और मांग करने पर एकाकी प्रयोक्ताओं तक भी इनकी पहुंच होती है। सीबीटी का प्रयोग अंतिम प्रयोक्ताओं को सतत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है और इसलिए पंचायत निगम सूट अनुप्रयोगों के अंगीकरण में तेजी लाने और सुधार करने की प्रत्याशा है। ये सीबीटी स्थानीय स्तर पर बेहतर समावेश हेतु स्थानीय भाषा में अनुवाद के लिए भी समर्थ हैं।

प्रत्येक अनुप्रयोग हेतु ऑनलाइन परिचर्चा समूह (गूगल समूह) का प्रयोग किया जा रहा है, जिनमें प्रयोक्ता अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और पंचायती राज मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी) अथवा अन्य राज्यों से भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये समूह अंतिम प्रयोक्ताओं से विचारों के सहभाजन और तात्कालिक समाधान प्रदान करने में अत्यन्त प्रभावी रहे हैं। ये आवश्यकतानुसार संदर्भ हेतु ज्ञान आधार-आंकड़ों के रूप में भी काम करते हैं।

मंत्रालय ने कम्प्यूटरों के प्रयोग पर जागरूकता पैदा करने और भौतिक ज्ञान प्रदान करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कार्यकर्ताओं को मौलिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी - NIELIT) को राज्य-स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण देने

के लिए नियुक्त किया है। प्रशिक्षण साधारण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, जिसमें छह दिन की अवधि में 36 घंटों के सत्र शामिल हैं। 19000 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायत कार्यकर्ता प्रशिक्षित किये जा चुके हैं।

पंचायतों को ई-सक्षम बनाना

- पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) पंचायतों को प्रशासन तथा सेवा सुपुर्दगी में कुशल बनाने के लिए उनकी प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करेगा। राज्यों से पंचायतों को ई-सक्षम करने के लिए उचित सीबीएवंटी को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं।
- हार्डवेयर को किसी भी अन्य सक्षम योजना में हासिल किया जा सकता है। जहां किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई हार्डवेयर प्रदान करना संभव नहीं है, एक कम्प्यूटर, यूपीएस एवं प्रिंटर प्रदान किया जा सकता है।
- सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के विकास, रखरखाव, सर्वर लागत, डाटा सेंटर होस्टिंग शुल्क, भंडारण, कनेक्टिविटी, सुरक्षा जांच तथा डिजिटल हस्ताक्षर के लिए भी राशि प्रदान की जाएगी।
- जिन राज्यों में पंचायतों में पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर शिक्षित मानव श्रम नहीं है, उन्हें सेवा प्रदाता प्रदान किए जा सकते हैं।
- जिन राज्यों ने अपने सॉफ्टवेयर में प्रगति नहीं की है तथा अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर नहीं किया है तो उन्हें पीईएस के माध्यम से केन्द्र सरकार को अपना सॉफ्टवेयर विकसित करना होगा। इसी प्रकार पंचायत परिसंपत्ति रजिस्टर में निर्मित परिसंपत्तियों के लिए मनरेगा जैसी केन्द्रीय योजनाओं का भी समर्थन किया जाएगा।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ई-पंचायत के माध्यम से पंचायती राज संस्था को सशक्त करने का प्रयास एक सार्थक कदम है। ई-पंचायत द्वारा पंचायतों में डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है तथा इसकी सहायता से गांवों में रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी, कृषि से संबंधित जानकारी, रोजगार के अवसर, मनरेगा कार्यक्रम आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, जिससे वे जागरूक हो रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- वेबसाइट पंचायती राज संस्थान
अरुण श्रीवास्तव - भारत में पंचायती राज
महीपाल - पंचायत राज : अतीत, वर्तमान और भविष्य

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल : savitakumari470@yahoo.com